न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 34/2019
मोहनलाल पुत्र झाबरमल जाति माली निवासी सेडूवाली ढाणी (छोटा बस स्टेण्ड के पास) नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादी

वाद :– घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

वकील वादी– श्री सुभाष चन्द्र आर्य
वकील प्रति0 – राज पैरोकार ना.तहसीलदार

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.08.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुण्डाराम पुत्र झाबर दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम मोहनलाल पुत्र झाबर है। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटउ आईडी कार्ड, नगरपालिका द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा विलेख आदि समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम है। प्रार्थी को उसका दादा लाड प्यार से सुण्डाराम कहा करता था परन्तु प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहनलाल है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद भूमि के नामान्तकरण में प्रार्थी का सही नाम मेाहनलाल न दर्ज करके सुण्डाराम दर्ज किया गया। नामान्तकरण की कार्यवाही की जानकारी प्रार्थी को नही थी। प्रार्थी ग्राम नवलगढ में स्थित भूमि ख.न. 211, 213, 214, 215, कुल किता 4 कुल रकबा 0.40 है0 में अन्य खातेदारों के साथ में खातेदार है। उपरोक्त जमीन के कब्जे व हिस्से का कोई विवाद नही है। यह भूमि नौरंग लाल पुत्र औंकार व भूरी पत्नी ओंकार हिस्सा 1/3 सुवा पिता नारायण हिस्सा 1/3 माली साह. देह खातेदार सुण्डाराम भोलाराम पिता झाबर श्योकोरी पति झाबर हिस्सा 1/3 दर्ज है। भूमि ख.न. 270, 460 स्थित ग्राम जोहड की ढाणी में सुण्डाराम भोलाराम पिता झाबर श्योकोरी पत्नी स्व0 झाबर हि0 1/3 दर्ज है। इसी भूमि के कब्जे काश्त बाबत किसी तरह को विवाद नही है। प्रार्थी का भूमि के रिकार्ड में उसका सही नाम दर्ज नही होने के कारण भविष्य में काफी पेरशानी हो सकती ळै जिस कारण रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम मोहनलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद बहस वादी खिलाफ प्रतिवादी डिकी किया जाकर वाद पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम सुण्डाराम की जगह मोहनलाल धोषित करके राजस्व रिकार्ड मोहनलाल पुत्र झाबर दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी नं. 1 राज पैरोकार उपस्थित होकर वाद डिकी किये जाने में कोई एतराज नही होना जाहिर किया गया। अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी संवत 2068–2071 ग्राम नवलगढ की भूमि ख.न. 211/0.04, 213/0.11, 214/0.10, 215/0.15 है0 में सुण्डाराम भोलाराम पि0 झाबर श्योकोरी पत्नी स्व0 झाबर हि0 1/3 जाति माली सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी ग्राम जोहड की ढाणी संवत 2069–72 के अनुसार भूमि ख.न. 270/0.40, 460/1.47 है0 की खातेदारी सुण्डाराम भोलाराम पि0 झाबर हि0 1/3 माली सा.दे.खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में प्रस्तुत फोटो प्रति परिवार का राशनकार्ड, नगरपालिका नवलगढ द्वारा जारी पट्टा, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र झाबर मल अंकित किया गया है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट पत्रांक भू.अ.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

980 दिनांक 30.05.2019 के अनुसार ग्राम नवलगढ के ख.न. 211, 213, 214, 215 तथा ग्राम ढ की ढाणी के भूमि ख.न. 270, 460 में प्रार्थी का नाम सुण्डाराम पुत्र झाबरमल के स्थान पर नलाल पुत्र झाबरमल नाम दुरूस्त किया जाना उचित होना अंकित किया गया है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम नवलगढ की भूमि ख.न. 211, 213, 214, 215 तथा नवलगढ की भूमि ख.न. 270, 260 में वादी का नाम सुण्डाराम पुत्र झाबरमल के स्थान पर मोहनलाल पुत्र झाबरमल जाति माली दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे, खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

वाद :– घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:–123/2019 (मोहनलाल बनाम तहसीलदार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.08.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम नवलगढ की भूमि ख.न. 211, 213, 214, 215 तथा नवलगढ की भूमि ख.न. 270, 260 में वादी का नाम सुण्डाराम पुत्र झाबरमल के स्थान पर मोहनलाल पुत्र झाबरमल जाति माली दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे, खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........–.................. मुबलिग..........–...........बाबत.....–................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 29 माह 08 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	02.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner